PAREEKSHA BAAZ
Institute for CSE Examination

# PRELIM POINTERS

## 4th DEC 2024

For more exam related videos and guidance, scan the code to join our YouTube Channel

For more exam related material, scan the code to join our Telegram Channel

Scan the code to join our Instagram Channel

# INDEX


| SN. | TOPIC |
|---|---|
| 1 | अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस (आईडीपीडब्ल्यूडी) 2024 |
| 2 | वैश्विक वन-स्टॉप सेंटर |
| 3 | उच्च जोखिम वाला भोजन |
| 4 | सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन (प्रगति) मंच |
| 5 | एशिया-ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन |
| 6 | नाज़का लाइन्स |
| 7 | क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परगिलोसिस (सीपीए) क्या है? |
| 8 | जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान |
| 9 | हरिमौ शक्ति अभ्यास |
| 10 | राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) क्या है? |

# अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस (आईडीपीडब्ल्यूडी) 2024

अवलोकन:

*हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर से लोग अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने के लिए एकत्रित होते हैं - यह दिन विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं, उपलब्धियों और अधिकारों को मान्यता देने के लिए समर्पित है।*

**अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस (आईडीपीडी) के बारे में:**

- **प्रतिवर्ष 3 दिसंबर** को मनाया जाने वाला आईडीपीडी दिवस, दुनिया भर में विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लचीलेपन, योगदान और नेतृत्व का जश्न मनाता है।
- यह दिन समावेशिता को बढ़ावा देने, दिव्यांगजनों के अधिकारों की वकालत करने तथा सभी के लिए समान अवसर सृजित करने की वैश्विक प्रतिबद्धता की याद दिलाता है।
- **इस वर्ष का विषय** है " **समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना"।**
- आईडीपीडी की **घोषणा 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 47/3 द्वारा की गई थी।**
- इसका उद्देश्य समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- विकलांगता के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के कई दशकों के कार्य के आधार पर, **2006 में अपनाए गए विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (सीआरपीडी) ने** सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विकास ढांचे को लागू करने में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को आगे बढ़ाया है।

**भारत सरकार की पहल:**

- भारत ने विभिन्न नीतियों और अभियानों के माध्यम से दिव्यांगजनों के अधिकारों और समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इनमें से कुछ पहल नीचे सूचीबद्ध हैं:
    - दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
    - **सुगम्य भारत अभियान**
    - **दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)**

- जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी)
- दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडीआईपी) योजना।
- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन हेतु योजनाएँ** (एसआईपीडीए): यह एक व्यापक "केन्द्रीय क्षेत्र योजना" है जिसमें 10 उप-योजनाएँ शामिल हैं।

**प्रश्न 1 : दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) क्या है?**

इसे वर्ष 2016 में अधिनियमित किया गया था और 19 अप्रैल, 2017 को लागू हुआ। इसने विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान लिया। RPwD अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी विकलांग व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के और समान अवसरों के साथ सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। अधिनियम ऐसे अधिकारों को बनाए रखने के लिए विशिष्ट प्रावधान करता है। यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRPD) के तहत शामिल विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को शामिल करता है, जिस पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।

## वैश्विक वन-स्टॉप सेंटर

**ग्लोबल वन-स्टॉप सेंटर के बारे में:**

- **इन केन्द्रों का उद्देश्य कमजोर परिस्थितियों में महिलाओं को** व्यापक सहायता प्रदान करना , उनकी तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करना तथा महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करना है।
- **प्रस्तावित नौ ओएससी में से सात में आश्रय गृह शामिल होंगे और इन्हें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब** (जेद्दा और रियाद दोनों में केंद्र) में स्थापित किया जाएगा ।
- **टोरंटो और सिंगापुर** में स्थित शेष दो केंद्र आश्रय गृह सुविधाओं के बिना संचालित होंगे।
- इन पहलों को शुरू करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, विदेश मंत्रालय ने इन मिशनों के लिए एक समर्पित बजट व्यवस्था खोली है।
- भारतीय **समुदाय कल्याण कोष** (आईसीडब्ल्यूएफ) संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों, विशेषकर महिलाओं तक कल्याणकारी उपाय पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
    - आईसीडब्ल्यूएफ ने प्रवासी भारतीयों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अपने दायरे का काफी विस्तार किया है।
    - यह कोष अब **आपातकालीन सहायता** जैसे कि भोजन और आवास, फंसे हुए लोगों के लिए हवाई यात्रा, कानूनी सहायता, चिकित्सा देखभाल और पार्थिव शरीर की वापसी आदि को कवर करता है।
    - आईसीडब्ल्यूएफ के दिशानिर्देशों में प्रवासी भारतीय या विदेशी पतियों द्वारा परित्यक्त **महिलाओं के लिए कानूनी सहायता और परामर्श के विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं।**
    - समय पर और कुशल सहायता प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों वाले देशों में कानूनी पैनल भी स्थापित किए गए हैं।
    - छोटे-मोटे कानूनी उल्लंघनों से संबंधित मामलों में, यह कोष भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जुर्माने के भुगतान की अनुमति देता है।

**प्रश्न 1: वन स्टॉप सेंटर योजना क्या है?**

यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) के तहत तैयार की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह एक ही छत के नीचे निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करती है।

# उच्च जोखिम वाला भोजन

अवलोकन:

*हाल ही में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पैकेज्ड पेय और मिनरल वाटर खंड को "उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणी" के रूप में मानने का निर्णय लिया है।*

**उच्च जोखिम वाले भोजन के बारे में:**

- "उच्च जोखिम" श्रेणी के अंतर्गत आने वाले खाद्य उत्पादों का **अनिवार्य जोखिम-आधारित निरीक्षण किया जाता है।**
- इनमें डेयरी, मांस, मछली, अंडे, तथा पोषण संबंधी उपयोग के लिए खाद्य पदार्थ, तैयार भोजन, भारतीय मिठाइयां और पोषक तत्व, तथा फोर्टिफाइड चावल कर्नेल जैसी संबंधित तैयारियां शामिल हैं।
- अपने आदेश में, एफएसएसएआई ने पैकेज्ड **पेयजल और मिनरल वाटर श्रेणियों को शामिल करने के लिए अपनी जोखिम-आधारित निरीक्षण नीति** में संशोधन किया है ।
- **इसका मतलब यह है कि ये उत्पाद अब अनिवार्य निरीक्षण और तृतीय-पक्ष ऑडिट** के अधीन होंगे ।
- उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों के अंतर्गत सभी केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं को अपने कारोबार का **वार्षिक लेखा-परीक्षण कराना होगा।**
- इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए इन उत्पादों की **सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों में सुधार करना है ।**
- इससे पहले, पैकेज्ड पेयजल उद्योग ने सरलीकृत नियमों की मांग की थी, तथा बीआईएस और एफएसएसएआई दोनों से दोहरे प्रमाणन की आवश्यकताओं को हटाने का अनुरोध किया था।

**एफएसएसएआई के बारे में मुख्य तथ्य**

- **यह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है ।
- एफएसएसएआई की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई है।
- **कार्य**
    - यह खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से **सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है।**
    - यह खाद्य पदार्थों के संबंध **में मानक और दिशानिर्देश निर्धारित करता है, तथा खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए लाइसेंस, पंजीकरण और मान्यता का प्रावधान करता है।**

- यह **खाद्य विनियमों के अनुपालन की प्रत्यक्ष निगरानी करता है** , विशेष रूप से भारत में **खाद्य आयात** के क्षेत्र में ।
- यह पूरे भारत में **खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन के लिए भी जिम्मेदार है।**
- यह भारत में **खाद्य प्रमाणन** के लिए जिम्मेदार है ।

**प्रश्न 1: भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) क्या है?**

बीआईएस भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसकी स्थापना बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए की गई है।

# सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन (प्रगति) मंच

अवलोकन:

*ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सैद बिजनेस स्कूल और गेट्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में हाल ही में कहा गया है कि सरकार के सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन (प्रगति) मंच ने देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बदलाव ला दिया है।*

**प्रगति प्लेटफॉर्म के बारे में:**

- यह एक **बहुउद्देश्यीय** और **बहु-मॉडल मंच** है जिसका उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों का समाधान करना और साथ ही **भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों** और परियोजनाओं के साथ-साथ **राज्य सरकारों** द्वारा चिह्नित परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है।
- यह प्रमुख हितधारकों के बीच वास्तविक समय उपस्थिति और आदान-प्रदान के साथ ई-पारदर्शिता और ई-जवाबदेही लाने के लिए एक मजबूत प्रणाली भी है।
- यह प्लेटफॉर्म 25 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया था।
- इस प्रणाली को **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)** की सहायता से **पीएमओ टीम द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है।**
- प्रगति प्लेटफॉर्म तीन नवीनतम प्रौद्योगिकियों को एक साथ जोड़ता है: **डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी।**
- **यह सहकारी संघवाद** की दिशा में एक अद्वितीय संयोजन भी प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह भारत सरकार के सचिवों **और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है ।**
- इससे **प्रधानमंत्री** संबंधित **केंद्रीय और राज्य अधिकारियों के साथ पूरी जानकारी और जमीनी स्तर की स्थिति के नवीनतम दृश्यों के साथ मुद्दों पर चर्चा करने में सक्षम** हैं ।
- **प्रमुख विशेषताऐं:**
    - यह एक **त्रिस्तरीय प्रणाली** है ( **पीएमओ, केंद्र सरकार के सचिव** और राज्यों के **मुख्य सचिव** )।
    - **प्रधानमंत्री एक मासिक कार्यक्रम आयोजित** करेंगे , जिसमें वे डेटा और भू-सूचना विज्ञान दृश्यों द्वारा सक्षम वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के सचिवों और मुख्य सचिवों के साथ बातचीत करेंगे।

- **यह कार्यक्रम प्रत्येक माह में एक बार चौथे बुधवार** को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित किया जाएगा , जिसे **प्रगति दिवस के रूप में जाना जाएगा।**
- **प्रधानमंत्री के समक्ष उठाए जाने वाले मुद्दों को लोक शिकायतों , चल रहे कार्यक्रमों** और लंबित परियोजनाओं से संबंधित उपलब्ध डाटा बेस **से चुना जाता** है ।
- यह प्रणाली शिकायतों के लिए सीपीजीआरएएमएस **, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के डेटाबेस को** मजबूत करेगी और उन्हें पुनः तैयार करेगी । प्रगति इन तीनों पहलुओं के लिए एक इंटरफेस और प्लेटफॉर्म प्रदान करती है।
- इसमें आम लोगों या राज्यों के उच्च पदाधिकारियों और/या सार्वजनिक परियोजनाओं के विकासकर्ताओं द्वारा **प्रधानमंत्री कार्यालय को किए गए विभिन्न पत्राचारों पर विचार किया जाएगा ।**
- चिह्नित मुद्दे **प्रगति दिवस से सात दिन पहले** (अर्थात प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को) अपलोड कर दिए जाते हैं।
- इन मुद्दों को एप्लीकेशन में दर्ज करने के बाद केन्द्र सरकार के सचिवों और मुख्य सचिवों द्वारा देखा जा सकेगा।
- केन्द्र सरकार के सचिवों और मुख्य सचिवों को तीन दिनों के भीतर (अर्थात अगले सोमवार तक) चिन्हित मुद्दों पर **अपनी टिप्पणियां और अद्यतन जानकारी देनी होगी ।**
- केन्द्र सरकार के सचिवों और मुख्य सचिवों द्वारा दर्ज किये गए **आंकड़ों की समीक्षा के लिए पीएमओ टीम के पास एक दिन - मंगलवार -** उपलब्ध है ।
- डिजाइन इस प्रकार है कि जब प्रधानमंत्री मुद्दे की समीक्षा करें तो उनकी स्क्रीन पर मुद्दा तो हो ही, साथ ही उससे संबंधित नवीनतम अपडेट और दृश्य भी हों।

**प्रश्न 1 : सीपीजीआरएएमएस क्या है?**

केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) नागरिकों के लिए 24x7 उपलब्ध एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ वे सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक प्राधिकरणों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों/विभागों से जुड़ा एक एकल पोर्टल है। प्रत्येक मंत्रालय और राज्यों की इस प्रणाली तक भूमिका-आधारित पहुँच है। CPGRAMS नागरिकों के लिए Google Play स्टोर से डाउनलोड किए जा सकने वाले स्टैंडअलोन मोबाइल एप्लिकेशन और UMANG के साथ एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी सुलभ है।

# एशिया-ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन

**एशिया-ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन (AOMSUC) के बारे में:**

- पहला एओएमएसयूसी **2010 में बीजिंग, चीन में आयोजित किया गया था।** तब से, इसे एशिया-ओशिनिया के विभिन्न स्थानों पर **प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता रहा है।**
- एओएमएसयूसी पूरे क्षेत्र और विश्व के **मौसम विज्ञानियों, पृथ्वी वैज्ञानिकों, उपग्रह संचालकों और छात्रों के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम बन गया है।**
- इस वर्ष का सम्मेलन **भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) , पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** द्वारा आयोजित किया जा रहा है , और इसमें उच्च गुणवत्ता वाले मौखिक और पोस्टर प्रस्तुतियाँ, पैनल चर्चाएँ और मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान अनुप्रयोगों के लिए वर्तमान उपग्रह डेटा को लागू करने पर केंद्रित एक प्रशिक्षण कार्यशाला शामिल होगी।
- **सम्मेलन का उद्देश्य है:**
    - उपग्रह प्रेक्षणों के महत्व को बढ़ावा देना
    - उन्नत उपग्रह सुदूर संवेदन विज्ञान
    - उपग्रह प्रचालकों और उपयोगकर्ताओं के बीच संवाद और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना
    - अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं के बारे में समुदाय को सूचित करना
    - मौसम उपग्रह संवेदन के लिए नई प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहित करना
    - क्षेत्र में युवा वैज्ञानिकों को शामिल करें

**प्रश्न 1: मौसम विज्ञान क्या है?**

यह वायुमंडलीय घटनाओं, विशेष रूप से क्षोभमंडल और निचले समतापमंडल का वैज्ञानिक अध्ययन है। मौसम विज्ञान में मौसम और उसके कारणों का व्यवस्थित अध्ययन शामिल है, और यह मौसम पूर्वानुमान के लिए आधार प्रदान करता है। जलवायु विज्ञान भी देखें।

## नाज़्का लाइन्स

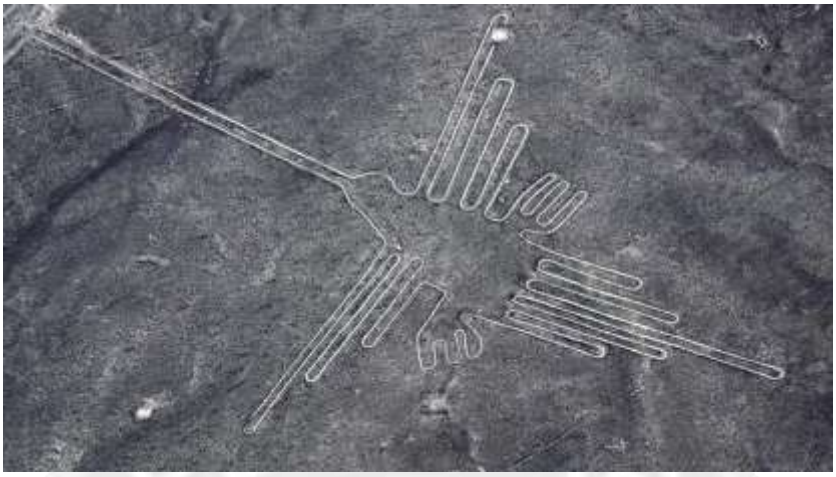

**नाज़्का लाइन्स के बारे में:**

- नाज़्का लाइन्स **भू-आकृतियों या बड़े डिज़ाइनों का एक समूह है,** जो रचनाकारों द्वारा परिदृश्य के तत्वों जैसे पत्थर, बजरी, मिट्टी या लकड़ी का उपयोग करके जमीन पर बनाए जाते हैं।
- **अवस्थिति:** ये **शुष्क पेरू तटीय मैदान** में , लीमा से लगभग 400 किमी दक्षिण में स्थित हैं।
- नाज़्का लाइनों की खोज 1920 के दशक के मध्य में पैदल यात्रियों द्वारा की गई थी और बाद में पेरू के पुरातत्वविद् **टोरिबियो मेजिया ज़ेस्पे ने** 1926 में उनका व्यवस्थित अध्ययन किया।
- अपने आकार, निरंतरता, प्रकृति और गुणवत्ता के कारण इन्हें सबसे बड़ी ज्ञात पुरातात्विक पहेली माना जाता है।
- वे **प्राकृतिक दुनिया और मानव कल्पना दोनों से प्राणियों को चित्रित करते हैं।**
    - इनमें मकड़ी, हमिंगबर्ड, बंदर, छिपकली, पेलिकन और यहां तक कि किलर व्हेल जैसे जानवर शामिल हैं। प्राचीन कारीगरों ने पौधों, पेड़ों, फूलों और अजीबोगरीब आकार की शानदार आकृतियों के साथ- **साथ ज्यामितीय रूपांकनों** , जैसे लहरदार रेखाओं, त्रिकोण, सर्पिल और आयताकारों को भी चित्रित किया।
- इनमें से अधिकांश **रेखाएँ 200 ई.पू. से 500 ई. तक की हैं,** जब नाज़्का नामक लोग इस क्षेत्र में निवास करते थे।
- पत्थरों को इकट्ठा करके बनाई गई सबसे पुरानी रेखाएँ 500 ईसा पूर्व की हैं
- **1994 में** यूनेस्को द्वारा इन लाइन्स को **विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।**

**जियोग्लिफ़ क्या हैं?**

- जियोग्लिफ़्स (भूआकृति) सतह के पत्थरों, मिट्टी या बजरी को जोड़कर **बनाई गई आकृतियाँ** हैं ।

**प्रश्न 1: विश्व धरोहर स्थल क्या है?**

विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थल या क्षेत्र है जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा कानूनी संरक्षण प्राप्त है।

## क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परगिलोसिस (सीपीए) क्या है?

अवलोकन:

*क्रोनिक पल्मोनरी एस्परगिलोसिस (सीपीए) से प्रतिवर्ष 340,000 से अधिक लोगों की मृत्यु होती है, तथा एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि पहले से ही फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है।*

**क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परगिलोसिस (सीपीए) के बारे में:**

- यह फेफड़ों का एक **फंगल संक्रमण** है जो एस्परगिलस नामक एक सामान्य **प्रकार के फफूंद के कारण होता है।**
    - एस्परगिलस **आमतौर पर घरों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों** के साथ-साथ बाहरी क्षेत्रों में भी पाया जाता है।
- **जिन लोगों को फेफड़ों से संबंधित दीर्घकालिक रोग** जैसे वातस्फीति, ब्रोंकाइटिस या तपेदिक है, उनमें **सीपीए विकसित होने का खतरा सबसे अधिक होता है।**
- सीपीए **संक्रामक नहीं** है । यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता।
- **लक्षण** : सीपीए **हमेशा शुरुआती चरणों में लक्षण पैदा नहीं करता है** । जब लक्षण होते हैं, तो वे हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं। सीपीए का **सबसे आम लक्षण खून की खांसी है।** अन्य लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं:
    - अनजाने में वजन कम होना
    - थकान
    - सांस लेने में कठिनाई
    - घरघराहट
- **इलाज** :
    - **ज़्यादातर लोगों के लिए, CPA एक आजीवन स्थिति है** , और इसके लिए दीर्घकालिक प्रबंधन की ज़रूरत होती है। हालाँकि, कुछ लोगों के लिए, CPA कभी-कभी पूरी तरह से ठीक हो सकता है।
    - सीपीए के लिए **एंटीफंगल दवाएं सबसे आम उपचार** हैं ।

- **फंगल द्रव्यमान को हटाने के लिए सर्जरी** एक विकल्प है । यह तब किया जाता है जब सीपीए फेफड़ों में रक्तस्राव का कारण बनता है।

**प्रश्न 1 : कवक क्या हैं?**

कवक यूकेरियोटिक जीवों का एक विविध समूह है जो अपने स्वयं के साम्राज्य, कवक से संबंधित हैं, जो पौधों, जानवरों और बैक्टीरिया से अलग है। कवक एक परिभाषित नाभिक और अंगक के साथ कोशिकाओं से बने होते हैं। कवक विषमपोषी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इसके बजाय, वे कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके या सहजीवी संबंध बनाकर पोषक तत्व प्राप्त करते हैं कवक बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं, जो यौन या अलैंगिक हो सकते हैं।

# जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान

अवलोकन:

*एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में मूल रूप से जानवरों की निगरानी जैसे संरक्षण कार्यों के लिए लगाए गए ड्रोन और कैमरों का स्थानीय सरकारी अधिकारियों और पुरुषों द्वारा जानबूझकर बिना सहमति के महिलाओं की निगरानी करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।*

**जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:**

- **यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले** में **हिमालय की तलहटी** में स्थित है ।
- यह **भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936** में हुई थी । तब इसका **नाम हैली नेशनल पार्क था।**
- **1957 में,** महान प्रकृतिवादी और **प्रख्यात संरक्षणवादी** स्वर्गीय **जिम कॉर्बेट की स्मृति में** पार्क का नाम बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया ।
- लुप्तप्राय बंगाल टाइगर के आवास के लिए जाना जाने वाला कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, **बड़े कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है।**
- यह वह पहला स्थान था जहां **1973 में प्रोजेक्ट टाइगर** लांच किया गया था ।
- यह पार्क 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है।
- यह पार्क **रामगंगा नदी द्वारा निर्मित पाटली द्वून घाटी को घेरे हुए है।**
- यह इलाका कई घाटियों से भरा हुआ है। **रामगंगा, पल्लेन और सोनानदी नदियाँ** घाटियों से होकर बहती हैं।
- **वनस्पति** :
- **जीव-जंतु** : **बाघ** और **हाथी** करिश्माई स्तनधारी हैं, इनके अलावा बड़ी संख्या में सह-शिकारी ( **तेंदुए** , छोटे मांसाहारी), खुर वाले जानवर ( **सांभर** , **हॉग डियर** , चित्तीदार हिरण), पक्षी, सरीसृप (घड़ियाल, मगरमच्छ) और मछलियाँ भी हैं।

- राष्ट्रीय **आवास बैंक अधिनियम , 1987 में किए गए संशोधन** के अनुसार , 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट घोषणाओं के अनुसरण में, एचएफसी पर एनएचबी की **नियामक शक्तियां** (एचएफसी के पंजीकरण सहित) 9 अगस्त, 2019 से **आरबीआई को हस्तांतरित कर दी गईं ।**
- एक मजबूत, स्वस्थ, लागत प्रभावी और व्यवहार्य आवास वित्त प्रणाली के निर्माण के उद्देश्य के भाग के रूप में एनएचबी के व्यापक कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं **:**
    - आवास वित्त कंपनियों के संबंध में **पर्यवेक्षण और शिकायत निवारण**
    - **फाइनेंसिंग**
    - **संवर्धन और विकास।**
- एनएचबी के मामलों और कारोबार का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन इसके निदेशक मंडल में निहित है।
- प्रधान कार्यालय: नई दिल्ली
- **एनएचबी रेजीडेक्स:** यह **देश का पहला आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) है।** यह आवासीय अचल संपत्ति की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

**प्रश्न 1 : अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) क्या हैं?**

AIFI विशिष्ट संस्थाएँ हैं जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए स्थापित की गई हैं। वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत, AIFI जनता से जमा स्वीकार नहीं करते हैं। वे कृषि, उद्योग, बुनियादी ढाँचे और आवास जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और अन्य संबंधित नियामक प्राधिकरणों द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाता है।

# हरिमौ शक्ति अभ्यास

अवलोकन:

*हरिमाउ शक्ति अभ्यास का चौथा संस्करण मलेशिया के पहांग जिले के बेंटोंग शिविर में शुरू हुआ।*

**व्यायाम हरिमौ शक्ति के बारे में:**

- **यह भारत और मलेशिया के बीच** आयोजित एक संयुक्त **सैन्य अभ्यास है।**
- भारतीय सैन्य टुकड़ी का प्रतिनिधित्व महार रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है।
- यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो **भारत और मलेशिया में बारी-बारी से** आयोजित किया जाता है । पिछला संस्करण नवंबर 2023 में भारत के मेघालय में उमरोई छावनी में आयोजित किया गया था।
- संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य **संयुक्त राष्ट्र अधिदेश** के अध्याय VII के तहत जंगल क्षेत्र में **आतंकवाद विरोधी अभियान** चलाने के लिए दोनों पक्षों की **संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना** है। यह अभ्यास जंगल के वातावरण में अभियानों पर केंद्रित होगा।
- **यह अभ्यास दो चरणों** में आयोजित किया जाएगा ।
    - पहले चरण में दोनों सेनाओं के बीच क्रॉस ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें **व्याख्यान, प्रदर्शन** और जंगल इलाकों में विभिन्न अभ्यासों का अभ्यास शामिल होगा।
    - अंतिम चरण में दोनों सेनाएं एक कृत्रिम अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लेंगी, जिसमें **सेनाएं विभिन्न अभ्यासों को अंजाम देंगी** , जिसमें एंटी-एमटी एंबुश, बंदरगाह पर कब्जा, टोही गश्त, घात लगाना और आतंकवादियों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र पर हमला शामिल है।
- **महत्व:** इससे दोनों पक्षों को संयुक्त अभियान चलाने की **रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम अभ्यास साझा करने** में मदद मिलेगी । इससे दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालन, सौहार्द और सौहार्द विकसित करने में मदद मिलेगी।

**प्रश्न 1: महार रेजिमेंट के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?**

01 अक्टूबर 1941 को अपनी स्थापना के बाद से इस रेजिमेंट ने अद्वितीय गौरव और सम्मान के साथ लड़ाई लड़ी है, कई युद्धक्षेत्रों पर विजयी हुई है और स्वतंत्रता के बाद इसे नौ युद्ध सम्मान और 12 थिएटर सम्मान से सम्मानित किया गया है। रेजिमेंट ने परमवीर चक्र (पीवीसी) और अशोक चक्र (एसी) सहित कई वीरता पुरस्कार अर्जित किए हैं।

# राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) क्या है?

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

अवलोकन:

*एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस ने अपने ऋणदाताओं को हाल ही में ऑनसाइट पर्यवेक्षी निरीक्षण के दौरान धोखाधड़ी वाले लेनदेन का पता चलने के बाद राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा चल रहे ऑडिट के बारे में सूचित किया है।*

**राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के बारे में:**

- यह भारत में **आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को बढ़ावा देने** के लिए स्थापित एक **शीर्ष एजेंसी है।**
- यह एक **अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफएल) है जो पूर्णतः भारत सरकार** के स्वामित्व में है।
- एनएचबी **एचएफसी की निगरानी करता है , जबकि एचएफसी का विनियमन** भारतीय रिजर्व बैंक ( आरबीआई ) के पास है ।
- **गठन** :
  - राष्ट्रीय आवास नीति, 1988 में आवास के लिए सर्वोच्च स्तरीय संस्था के रूप में एनएचबी की स्थापना की परिकल्पना की गई थी।
  - उपर्युक्त के अनुसरण में, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अंतर्गत 9 जुलाई, 1988 को एनएचबी की स्थापना **की गई ।**
  - **आरबीआई ने सम्पूर्ण चुकता पूंजी का योगदान** दिया ।
- **आरबीआई की 24 अप्रैल 2019 की अधिसूचना के अनुसार** एनएचबी पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है , अर्थात एनएचबी की **पूरी चुकता पूंजी सरकार के पास है।**
- राष्ट्रीय **आवास बैंक अधिनियम , 1987 में किए गए संशोधन** के अनुसार , 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट घोषणाओं के अनुसरण में, एचएफसी पर एनएचबी की **नियामक शक्तियां** (एचएफसी के पंजीकरण सहित) 9 अगस्त, 2019 से **आरबीआई को हस्तांतरित कर दी गईं ।**
- एक मजबूत, स्वस्थ, लागत प्रभावी और व्यवहार्य आवास वित्त प्रणाली के निर्माण के उद्देश्य के भाग के रूप में एनएचबी के व्यापक कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं **:**
  - आवास वित्त कंपनियों के संबंध में **पर्यवेक्षण और शिकायत निवारण**
  - **फाइनेंसिंग**
  - **संवर्धन और विकास।**
- एनएचबी के मामलों और कारोबार का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन इसके निदेशक मंडल में निहित है।
- प्रधान कार्यालय: नई दिल्ली

- **एनएचबी रेजीडेक्स:** यह **देश का पहला आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) है।** यह आवासीय अचल संपत्ति की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

**प्रश्न 1 : अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) क्या हैं?**

AIFI विशिष्ट संस्थाएँ हैं जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए स्थापित की गई हैं। वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत, AIFI जनता से जमा स्वीकार नहीं करते हैं। वे कृषि, उद्योग, बुनियादी ढाँचे और आवास जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और अन्य संबंधित नियामक प्राधिकरणों द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाता है।